न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0

मि0नं0 14 / अपील (आर0टी0आई) / 2022

शिवराज सिंह आ0 तुफानसिंह राजपूत
नि0 ग्राम व पोस्ट रामपुरा तहसील गंगधार, झालावाड (राज0)
बनाम
लोकसूचना अधिकारी तहसीलदार गंगधार
अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 05.05.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमो मे निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार गंगधार से तहसील गंगधार के पटवार हल्का रामपुरा भू0अभि0नि0 क्षेत्र रामपुरा में स्थित खाता संख्या 1 नया व 1 पुराना के खसरा नम्बर 1181 की वर्तमान स्थिति क्या है एवं उक्त खसना नम्बर पर राजस्व रिकार्ड या पटवारी रिकार्ड अनुसार आज तक किस किस व्यक्ति का कब्जा दर्शाया गया है व किन किन व्यक्तियों पर पेनल्टी की गई है। की सूचना चाही गई थी जो कि आदिनांक तक उपलब्ध नही कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील गंगधार द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गंगधार को नोटिस भिजवाया जाकर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया व इसी तरह अपीलान्ट को भी सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

अपीलार्थी उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गंगधार द्वारा पत्रांक 91 / रीडर / 2022 दिनांक 02.05.2022 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी को वांछित खसरा नम्बर की सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय के पत्रांक राजस्व / 2022 / 41–45 दिनांक 05.04.2022 द्वारा कार्यालय हाजा मे दिनांक 21.04.2022 को स्वयं उपस्थित होकर रिकार्ड अवलोकन कर इंगित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था परन्तु प्रार्थी उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपील खारिज करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रा0पत्र लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक: राजस्व / 2022 / 41–45 दिनांक 05.04.2022 से अपीलार्थी को कार्यालय हाजा में दिनांक 21.04.2022 को स्वयं उपस्थित होकर रिकार्ड अवलोकन कर इंगित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था । अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष रेकार्ड का अवलोकन करने हेतु उपस्थित नही हुए हैं व न्यायालय हाजा में भी बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। न्यायहित में प्रार्थी तहसील कार्यालय से बाद अभिलेख अवलोकन सूचना प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन से अपील में अग्रिम कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक: 05.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर झालावाड
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट

क्रमांक: 162-64 / रीडर / 22
दिनांक 5-5-22

प्रतिलिपी:-
01. प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम कलक्टरेट झालावाड
02. लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गंगधार
03. शिवराज सिंह आ0 तुफानसिंह राजपूत [illegible]

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट [illegible]